झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध) 17 / 2022 - 557

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 28.06.2022

विषयः– **बैंको द्वारा स्कूली बच्चों को विभाग की ओर से दिये जा रहे कुकिंग कॉस्ट की राशि काटे जाने से संबंधित प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक–21.06.2022 को प्रकाशित समाचार में बैंको द्वारा मिनिमम बैलेंस के नाम पर स्कूली बच्चों के खातों से राशि की कटौती किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिससे राज्य के बच्चो को उनके हक की निर्धारित राशि नहीं मिल पा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

हिन्दुस्तान

दिनांक :- 21/06/2022

487
22.06.22

स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग से मिल रहे हजार रुपए, बैंक 300 रुपए तक काट ले रहे

बच्चों के खाते से काटे जा रहे पैसे

मनमानी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में कम राशि होने के नाम पर उनके हक के पैसे काटे जा रहे हैं। जिन बच्चों को पिछले 10 माह की कुकिंग कॉस्ट की राशि दी गई, उनके खाते से भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि काट ली गई। ऐसा सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, राज्य के अधिकांश जिलों के बच्चों के साथ हुआ है। जिन बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि पहले मिली और वे निकाल चुके हैं, तो अगली पोशाक-छात्रवृत्ति की राशि मिलने पर कटौती की संभावना नजर आ रही है।

प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को अप्रैल 2021 से जनवरी-फरवरी 2022 तक के लिए 206 दिन के कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जा रही है। इसमें पहली से पांचवीं के बच्चों को 4.95 रुपये की दर से 847 रुपये और छठी से आठवीं के बच्चों को 7.45 रुपये की दर से 1534 रुपये मिल रहे हैं। बैंकों की ओर से खाते में सालभर मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर दो सौ से तीन सौ रुपये तक काटे जा रहे हैं। ऐसे में जिन बच्चों को 1000-1500 रुपये मिलने हैं, उससे तीन रुपये तक कटने से छात्रों को परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों का बैंक खाता सरकारी योजनाओं की राशि जीबीटी के माध्यम से देने के लिए होती है। किसी योजना की राशि आने पर छात्र-छात्राएं उसे निकालते हैं। अब अगर छह सौ रुपये सरकार दो जोड़ी पोशाक खरीदने के लिए देगी और उसमें से दो सौ या तीन रुपये बैंक काट लेंगे तो बच्चों का पोशाक कैसे खरीदा जाएगा। कई बार बैठकों में भी बैंकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि कटौती नहीं करने को कहा जाता है, बैंक इसमें हामी भी भरते हैं, लेकिन जब राशि जाती है तो इसमें कटौती हो जाती है और उसकी वापसी भी नहीं होती है।

- कुकिंग कॉस्ट की राशि में कटौती, पोशाक-छात्रवृत्ति की राशि भी कट जाएगी
- झारखंड के बच्चों को उनके हक की निर्धारित राशि नहीं मिल पा रही
- सिर्फ रांची में ही नहीं, राज्य के कई जिलों के बच्चों के खाते से राशि में कटौती की गई

"जन-धन खातों में मिनिमम बैलेंस के कारण कोई राशि नहीं कटती है। सामान्य खातों में ग्रामीण व शहरी के लिए मिनिमम बैलेंस तय किया गया है, उसको मेंटनेस नहीं करने पर ऑटोमेटिक राशि कट जाती है।

-सुबोध कुमार, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

"बच्चों के खाते से मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि काटी जा रही है। बच्चों व अभिभावकों को लगता है कि सरकार की ओर से ही कम राशि दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोशाक खरीदने के लिए राशि मिलने वाली है। वह राशि इतनी कम है कि दो जोड़ी पोशाक बनाना मुश्किल है। अगर उसमें से भी बैंक कटौती करेंगे तो एक जोड़ी पोशाक भी नहीं बन सकेगी।

-नसीम अहमद, मुख्य प्रवक्ता, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ